कठोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

20/11/25 पत्रावली पेश हुयी। आज यह
पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश
कि गयी। हमने कमील प्रार्थी के। खुला
तथा पेचमार सरकार का जवाब
का एवं पत्रावली का अध्ययन किया
गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाता है। पत्रावली फौनल अमल
होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति –
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड कोटपूतली–बहरोड (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर –26 / 2024

दायर दिनांक – 19.06.2024

निर्णय दिनांक – 20/11/2025

उनवान

1. लालाराम उर्फ लालचन्द पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड। _ वादी

बनाम

1. स्टेट हाजा जरिये तहसीलदार साहब बहरोड तहसील बहरोड ....प्रतिवादी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रिकॉर्ड दफा 1967</u>

उपस्थित –

1. श्री भूपेन्द्र आर्य अधिवक्ता प्रार्थी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। प्रार्थी वाके ग्राम रिवाली तहसील बहरोड जिला अलवर राज० का रहने वाला हूँ और मेरे नाम के राजस्व रिकार्ड की खातेदारी की आराजी जिसके हाल खसरा नम्बर 784 रकबा 1.89 है० वाके ग्राम चांदीचाना तहसील बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड राज. में स्थित है। प्रार्थी की वाके ग्राम चांदीचाना की खातेदारी की आराजी जिसके हाल उपरोक्त खसरा नम्बर के खाता संख्या 54 के राजस्व रिकार्ड में मिन प्रार्थी के नाम के खाता में खातेदार के कालम में नन्दलाल पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड राज० का अंकन किया हुआ है। जो गलत है जबकि मेरे सभी सरकारी दस्तावेजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड व वाके ग्राम रिवाली, हमजापुर तहसील बहरोड राज० में मेरा सही नाम लालचन्द उर्फ लालाराम पुत्र स्व० श्री रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड जिला अलवर हाल कोटपुतली–बहरोड राज० दर्ज है। इस कारण से मेरा नाम नन्दलाल पुत्र स्व० श्री रामकुमार का अंकन हाल राजस्व रिकार्ड में से कलमजन किया जाकर, वाके ग्राम रिवाली, हमजापुर तहसील बहरोड राज० एव सरकारी दस्तावेजात के आधार पर वाके ग्राम चंदीचाना तहसील बहरोड जिला अलवर कोटपुतली–बहरोड राज० के हाल राजस्व रिकार्ड में लालचन्द उर्फ लालाराम पुत्र स्व० श्री रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड राज० किया जाना न्याय संगत है। मिन प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एव बैंक के खाता व वाके ग्राम रिवाली, हमजापुर तहसील बहरोड राज० मे भी मेरा सही नाम लालचन्द उर्फ लालाराम पुत्र स्व० श्री रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड जिला अलवर हाल कोटपुतली–बहरोड ... है इस कारण से मेरे नाम के हाल राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम चांदीचाना तहसील बहरोड राज० के खाता संख्या 54 मे दर्ज मेरा नाम नन्दलाल पुत्र स्व० श्री रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड राज० को कलमजन किया जाकर, सही दस्तावेजात के आधार पर मेरे नाम के हाल राजस्व रिकार्ड को सही

नाम लालचन्द उर्फ लालाराम पुत्र स्व० श्री रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड राज० का हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एंव गिरदावरीजात मे अकन का अमल दरामद किया जाना लाजिम कानूनी है। श्रीमान से निवेदन है कि मिन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताहाल वाके ग्राम चादींचाना तहसील बहरोड राज० के हाल राजस्व रिकार्ड के खाता सख्या 54 में मिन प्रार्थी के नाम के खातेदार के कोलम में मेरे नाम नन्दलाल पुत्र स्व० श्री रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड राज० के अंकन का नोट कलमजन किया जाकर शुद्धिकर पालना मे लालचन्द उर्फ लालाराम पुत्र स्व० श्री रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड राज० का हाल राजस्य रिकार्ड जमाबन्दी, गिरदावरीजात मे अमलदरामद करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड नही है। अन्य न्यायालय क्षेत्राधिकार से संबधित है बबात् निवेदन किया है।

प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा बहस प्रार्थी पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 585,566 में प्रार्थी का नाम लालाराम पुत्र रामकंवार हिस्सा 1/6 जाति अहीर सा. देह खातेदार दर्ज है। एव जमाबन्दी संवत 2076 के खाता संख्या 54 में प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/6 जाति अहीर निवासी रिवाली खातेदार दर्ज है। प्रार्थी छाजूराम पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर, गजराज पुत्र रामकुमार जाति अहीर, सिंहराज पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि आराजी जिसके हाल खसरा नम्बर 784 रकबाउ 1.89 है0 वाके ग्राम चांदीचाना तहसील बहरोड का सहखातेदार भी है उक्त खसरा नम्बर की आराजी में हमारे बडे भाई का नाम नन्दलाल पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली दर्ज है जो गलत है जबकि हमारे भाई का सही नाम लालाराम पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़ है। हमारे नाम अन्य सहखातेदारी की आरजी वाके ग्राम हमजापुर व रिवाली में है। जिसमें सही नाम लालाराम पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड राज. दर्ज जो सही है। अंकित किया गया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः आदेश है कि ग्राम चांदीचाना तहसील बहरोड के आराजी खसरा नम्बर 784 रकबा 1.89 है0 वाके ग्राम चांदीचाना तहसील बहरोड में दर्ज नन्दलाल पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी रिवाली को कलमजन कर लालचन्द उर्फ लालाराम पुत्र रामकुमार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर राजस्व भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार बहरोड को वास्ते संशोधन जारी किया जावे।

आज दिनाक 20/11/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] बहरोड)